मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

1–तिलक मार्ग, लखनऊ

परिपत्र संख्याःडीजी–34/2018 दिनॉकः लखनऊः जून 28, 2018

सेवा में,

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/
पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद,
उत्तर प्रदेश।
समस्त पुलिस अधीक्षक,
राजकीय रेलवे पुलिस,
उत्तर प्रदेश।

विषयः कारागारों में निरूद्ध बन्दियों के बीमार होने पर इलाज हेतु अस्पताल ले जाते समय पुलिस स्कोर्ट की व्यवस्था कराया जाना।

उपर्युक्त विषय में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के पत्र/केस संख्या 12536/24/4/2016 दिनांक 25–04–2018 द्वारा संज्ञान मे लाया गया है कि सेन्ट्रल जेल नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध बन्दी प्रेम प्रकाश जायसवाल गम्भीर रूप से बीमार था जिसका इलाज कारागार अस्पताल में किया गया। वहॉ पर ठीक न होने पर विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा इलाज कराये जाने की सलाह पर उसे जिला चिकित्सालय व स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय, इलाहाबाद ले जाने के लिए कारागार विभाग द्वारा पुलिस गार्ड की मांग कई बार की गयी, परन्तु पुलिस गार्ड की व्यवस्था जनपदीय पुलिस द्वारा नही उपलब्ध करायी गयी, जिसके कारण उपरोक्त बीमार निरूद्ध बंदी के त्वरित उपचार में कठिनाई उत्पन्न हुई।

2– मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा अपेक्षा की गयी है कि ऐसे प्रकरणों में कारागार विभाग द्वारा पुलिस फोर्स की मांग किये जाने पर उन्हे पुलिस फोर्स समय से उपलब्ध कराया जाये।

3– अतः निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में कारागार विभाग द्वारा यदि ऐसे मामलों में पुलिस फोर्स की मांग की जाती है तो तत्परता से नियमानुसार फोर्स उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाये।

28/6/18

(ओ0पी0 सिंह)
पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, जोन, उत्तर प्रदेश।
2–समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, परिक्षेत्र, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ :–
अपर पुलिस महानिदेशक, कानून–व्यवस्था/अपराध/रेलवे, उ0प्र0, लखनऊ।

circular